धारा 6–ए प्रकरण सं0 108/2016 राज0 राज्य बजरिये सुभाष चन्द्र, बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध सरंक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–मैसर्स सिंगला सीड्स एजेन्सी, 80बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर 2–श्री प्रवीणकुमार पुत्र श्री दीनदयाल पार्टनर मैसर्स सिंगला सीड्स एजेन्सी, 80बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21–02–2018

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुभाष चन्द्र, बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी उपस्थित है। अप्रार्थी के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में दिनांक 29.01.18 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विभागीय प्रतिनिधि श्री सुभाष चन्द्र, बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी का कथन था कि अप्रार्थीगण मैसर्स सिंगला सीडस के पास बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के तहत बीजो के विक्रय, आयात, निर्यात के संबंध में अनुज्ञापत्र संख्या 1667 दिनांक14.03.08 है जो कि दिनांक 13.03.17 तक नवीनीकृत है और इस अनुज्ञापत्र में कार्य स्थल दुकान न0 80 बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर दर्ज है।

उनका आगे कथन था कि दिनांक **13–12–2016** को दोपहर 12.30 पी.एम. पर उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, श्रीगंगानगर एवं श्री दीनदयाल वर्मा, सहायक निदेशक, कृषि (पौध सरंक्षण) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशो की पालना में वह स्वयं एवं अपने सहयोगी श्री कृष्ण लाल देहड़ू, कृषि पर्यवेक्षक (AS) धर्मसिंहवाला व श्री अश्विनी कुमार, कृषि पर्यवेक्षक (AS) ताखरावाली के साथ दिनांक **13.12.2016** को दोपहर 2 पी.एम. पर चक 16 बी.एन.डबल्यू. (स्यांगावाली के नजदीक) पहुंचे। वहां पहले से ही मौके पर श्री दीनदयाल वर्मा अपने सहयोगी श्री सुरजीत बिश्नोई, कृषि अधिकारी (सामान्य) कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद व श्री दीनदयाल पुत्र श्री लक्ष्मण दास जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न0 13, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के मौजूद थे। उक्त सभी की मौजूदगी में श्री दीनदयाल वर्मा ने सील्ड फार्म हाउस के दोनो गेटो की सील तोड़ कर जांच हेतु मेरे सुपुर्द किया। क्योंकि उक्त फार्म हाउस कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सादुलशहर के क्षेत्राधिकार में आता है। इस सील्ड फार्म हाउस में गेहूं का अनाधिकृत बीज था। जांच में पाया गया कि अनाधिकृत गेहूं का यह बीज मैसर्स सिंगला सीडस एजेन्सी, 80बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर का है जिसका पार्टनर श्री प्रवीणकुमार पुत्र श्री

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दीनदयाल जाति अग्रवाल है जो कि वार्ड न0 13 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर का निवासी है।

उनका आगे कथन था कि उसके द्वारा व उसके सहयोगियों द्वारा श्री प्रवीण कुमार पार्टनर की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया तो मौके पर राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) उत्पादित गेहूं का प्रमाणित बीज **प्लास्टिक एवं जूट** के लगभग 7000 थैलों में पाया गया जो सीलबंद तथा टैंग सहित थे। प्रमाणित गेहूं बीज के थैलो के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ का कोई साक्ष्य नही मिला। जांच करने पर पाया गया कि मैसर्स सिंगला सीड्स द्वारा अपने फार्म हाउस में रखा गया यह प्रमाणित गेहूं बीज **National Seeds Corp. Ltd. Beej Bhawan, Pusa Complex New Delhi 110012 द्वारा** उत्पादित है एवं **कृषको को विकय करने के लिए तैयार किया गया था। उक्त भण्डारित गेहूं बीज स्थल का इन्द्राज मैसर्स सिंगला सीडस एजेन्सी, 80बी पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर को विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापत्र में नही है जो कि बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) की उल्लंघना है।** इसलिए उक्त फार्म हाउस में खुले में भण्डारित किये गये अनाधिकृत गेहूं के प्रमाणित बीज को सीज करने का निर्णय लिया गया। **फार्म हाउस में गोदाम की व्यवस्था नही होने के कारण उक्त फार्म में रखे गये अनाधिकृत गेहूं के प्रमाणित बीज लगभग 7000 बैग को अन्यत्र स्थानान्तरण करना आवश्यक समझा गया। इसलिए फर्म के पार्टनर श्री प्रवीण कुमार द्वारा रिको फेज सेकेण्ड में गोदाम संख्या जी–400 किराये पर लिया गया, जिसका किराया श्री प्रवीण कुमार पार्टनर द्वारा ही वहन किया जावेगा।** उक्त गोदाम का उनके द्वारा निरीक्षण करने पर उपयुक्त पाये जाने पर **दिनांक 14.12.2016** को उक्त गेहूं बीज को ट्रको में **फार्म हाउस 16 बीएनडबल्यू से रिको फेज सेकेण्ड के गोदाम में परिवहन का कार्य शुरू किया गया जो दिनांक 17.12.2016 बाद दोपहर तक चला। इस दौरान कुल 6821 थैलो का परिवहन किया गया।** प्रत्येक थैले का **वजन 40 किलो है।** फर्म मैसर्स सिंगला सिड्स द्वारा **बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) की उल्लंघना** पाये जाने पर उनके द्वारा इस आदेश की धारा 13(1)(डी) व (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त अनाधिकृत गेहूं बीज के 6821 थेले सीज कर श्री प्रवीण कुमार पार्टनर की सुपुर्दगी में दिये गये। यह बीज नियन्त्रण आदेश 1983 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी आदेश है इसलिए इसकी अवहेलना के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत जब्त शुदा उक्त अनाधिकृत गेहूं बीज 6821 थैलो को प्रत्येक का वजन 40 किलो को राजसात किया जावे।

उनका आगे कथन था कि चक 16 बी.एन.डबल्यू के फार्म हाउस का इन्द्राज विभाग द्वारा मैसर्स सिंगला सीडस को जारी बीज अनुज्ञापत्र में नही है और न ही इस स्थान पर कारोबार करने के लिए कोई अलग से कोई अन्य

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अनुज्ञापत्र है और न ही उक्त अनाधिकृत स्थल पर उक्त गेहूं बीज भण्डारित करने के लिए फर्म द्वारा अपने अनुज्ञापत्र में दर्ज करवाने के संबंध में निरीक्षण दिनांक तक कोई आवेदन पत्र नही दिया गया है जो **बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) की एवं अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या (iv) की उल्लंघना है। इसलिए उक्त जब्त शुदा** अनाधिकृत गेहूं बीज 6821 थैले, प्रत्येक का वजन 40 किलो को राजसात किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत ने लिखित जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन था कि मैसर्स सिंगला सीडस, कृषि विभाग से बीज की अनुज्ञाधारी एजेन्सी है और फर्म का कार्य स्थल 80बी पुरानी धानमण्डी है। फर्म का अनुज्ञापत्र 13.03.17 तक नवीनीकृत है। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी फर्म से 6821 प्रमाणित गेहूं बीज के थैले, जिनमें प्रत्येक थैले का वजन 40 किलो है जो कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा चक 16 बी.एन.डबल्यू. (सिहांगावाली गांव के नजदीक) से इस कारण से जब्त किया गया था कि यह चक 16 बी.एन.डबल्यू. प्रार्थी फर्म के अनुज्ञापत्र में दर्ज नही है।

उनका आगे कथन था कि उक्त जब्त शुदा प्रमाणित गेहूं बीज, जो कि जतिन ट्रेडिंग कम्पनी 94 पुरानी धानमण्डी के पीछे, श्रीगंगानगर माह दिसम्बर 20016 में राष्ट्रीय बीज निगम से क्रय किया था और जतिन ट्रेडिंग कम्पनी से अप्रार्थीगण फर्म द्वारा क्रमशः दिनांक **05.12.16. 6.12.16, 7.12.16 व 8.12.16 को खरीद किया था।** चूंकि उक्त प्रमाणित गेहूं बीज अत्यधिक मात्रा में था और अप्रार्थी एजेन्सी के कार्य स्थल 80बी पुरानी धानमण्डी पर भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था नही होने के कारण चक 16 बी.एन.डबल्यू. के फार्म हाउस में भण्डारित किया गया था एवं इस स्थल को अप्रार्थीगण द्वारा अपने अनुज्ञापत्र में प्रविष्ट करवाने के लिए दिनांक 14.12.16 को प्रा0 पत्र उपनिदेशक कृषि विस्तार श्रीगंगानगर को उचित फीस जमा करवाकर प्रस्तुत कर दिया था।

उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों को अभिलेख का निरीक्षण करवाकर नोटिस दिनांक 19.12.2016 के संबंध में वस्तु स्थिति से अवगत करवा दिया था और निरीक्षण अधिकारियों द्वारा फर्म के समस्त अभिलेख को सही एवं भण्डारित बीज को सही हालत में होना और बीज के थैलो से किसी प्रकार की छेड़छाड न होना अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया है इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे।

उनका यह भी कथन था कि चक 16 बी.एन.डबल्यू. के उक्त गोदाम का दर्ज नहीं होना अधिक से अधिक एक मानवीय त्रुटि कहा जा सकता है जो गंभीर उल्लघंना की श्रेणी में नहीं आता है। निरीक्षण के समय सभी अभिलेख

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

का सही होना एवं बीज का अवैध प्रकार से विक्रय नहीं होना जांच से स्पष्ट है। उनके द्वारा किसी भी प्रकार से बीज नियन्त्रण आदेश 1983 अनुज्ञापत्र की किसी शर्त का कोई उल्लंघना नहीं किया है और न ही उनकी किसी प्रकार से कोई बदनियती है। इसलिए उनके द्वारा अपने कथन के समर्थन में 1988 (2) आर.एल.आर. (राजस्थान) 953 एवं ए.आई.आर. 1994 (एस.सी.) पेज 2063 का न्यायिक दृष्टांत पेश करके कार्यवाही समाप्त करने की प्रार्थना की गई है।

मैनें दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक **13–12–2016** को दोपहर 12.30 पी.एम. पर उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, श्रीगंगानगर एवं श्री दीनदयाल वर्मा, सहायक निदेशक, कृषि (पौध सरंक्षण) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशो की पालना में श्री सुभाष चन्द्र स्वयं एवं अपने सहयोगी श्री कृष्ण लाल देहडू, कृषि पर्यवेक्षक (AS) धर्मसिंहवाला व श्री अश्विनी कुमार, कृषि पर्यवेक्षक(AS) ताखरावाली के साथ दिनांक **13.12.16** को दोपहर 2 पी.एम. पर चक 16 बी.एन.डबल्यू. (स्यांगावाली के नजदीक) पहुंचे। वहां पहले से ही मौके पर श्री दीनदयाल वर्मा अपने सहयोगी श्री सुरजीत बिश्नोई, कृषि अधिकारी (सामान्य) कार्यालय उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद व श्री दीनदयाल पुत्र श्री लक्ष्मण दास जाति अग्रवाल निवासी वार्ड न0 13, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर के मौजूद थे। उक्त सभी की मौजूदगी में श्री दीनदयाल वर्मा ने सील्ड फार्म हाउस के दोनो गेटो की सील तोड़ कर जांच हेतु श्री सुभाषचन्द्र बीज निरीक्षक के सुपुर्द किया गया। क्योंकि उक्त फार्म हाउस कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सादुलशहर के क्षेत्राधिकार में आता है। इस सील्ड फार्म हाउस में गेहूं का अनाधिकृत बीज था। जांच में पाया गया कि अनाधिकृत गेहूं का यह बीज मैसर्स सिंगला सीडस एजेन्सी, 80बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर का है जिसका पार्टनर श्री प्रवीणकुमार पुत्र श्री दीनदयाल जाति अग्रवाल है जो कि वार्ड न0 13 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर का निवासी है। श्री सुभाषचन्द्र बीज निरीक्षक व उसके सहयोगियों द्वारा श्री प्रवीण कुमार पार्टनर की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया तो मौके पर राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) उत्पादित गेहूं का प्रमाणित बीज **प्लास्टिक एवं जूट** के लगभग 7000 थैलों में पाया गया जो सीलबंद तथा टैंग सहित थे। प्रमाणित गेहूं बीज के थैलो के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ का कोई साक्ष्य नही मिला। जांच करने पर पाया गया कि मैसर्स सिंगला सीड्स द्वारा अपने फार्म हाउस में रखा गया यह प्रमाणित गेहूं बीज **National Seeds Corp. Ltd. Beej Bhawan, Pusa Complex New Delhi 110012** द्वारा उत्पादित है एवं **कृषको को विकय करने के लिए तैयार किया गया था। उक्त भण्डारित गेहूं बीज स्थल का इन्द्राज मैसर्स सिंगला सीडस एजेन्सी, 80बी पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर को विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापत्र में नही है जो कि बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) की उल्लंघना है।** इसलिए उक्त फार्म हाउस में खुले में भण्डारित किये गये

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अनाधिकृत गेहूं के प्रमाणित बीज को सीज करने का निर्णय लिया गया। फार्म हाउस में गोदाम की व्यवस्था नही होने के कारण उक्त फार्म में रखे गये अनाधिकृत गेहूं के प्रमाणित बीज लगभग 7000 बैग को अन्यत्र स्थानान्तरण करना आवश्यक समझा गया। इसलिए फर्म के पार्टनर श्री प्रवीण कुमार द्वारा रिको फेज सेकेण्ड में गोदाम संख्या जी–400 किराये पर लिया गया, जिसका किराया श्री प्रवीण कुमार पार्टनर द्वारा ही वहन किया जावेगा। उक्त गोदाम का उनके द्वारा निरीक्षण करने पर उपयुक्त पाये जाने पर दिनांक 14.12.2016 को उक्त गेहूं बीज को ट्रको में भरकर फार्म हाउस 16 बीएनडबल्यू से रिको फेज सेकेण्ड के गोदाम में परिवहन का कार्य शुरू किया गया जो कि दिनांक 17.12.2016 तक बाद दोपहर तक चला। इस दौरान कुल 6821 थैलो का परिवहन किया गया। प्रत्येक थैले का वजन 40 किलो है। फर्म मैसर्स सिंगला सिड्स द्वारा बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) की उल्लंघना पाये जाने पर उनके द्वारा इस आदेश की धारा 13(1)(डी) व (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए उक्त अनाधिकृत गेहूं बीज के 6821 थैले जब्त कर श्री प्रवीण कुमार पार्टनर की सुपुर्दगी में दिये गये। यह बीज नियन्त्रण आदेश 1983 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी एक आदेश है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत जब्त शुदा उक्त अनाधिकृत प्रमाणित गेहूं बीज 6821 थैले प्रत्येक का वजन 40 किलो को राजसात करने की प्रार्थना की गयी है।

किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तभी कार्यवाही की जा सकती है जबकि संबंधित व्यक्ति द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जारी किसी आदेश/ अध्यादेश/ अधिनियम/नियम आदि के किन्ही प्रावधानो की अवहेलना की गयी हो। अप्रार्थीगण के विरूद्ध संबंधित बीज निरीक्षक द्वारा बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) का उल्लंघन होने के कारण उक्त जब्त शुदा प्रमाणित गेहू बीज को राजसात करने की प्रार्थना की गयी है।

चूंकि बीज नियन्त्रण आदेश 1983 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी एक आदेश है इसलिए इस आदेश की अवहेलना पर धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त प्रमाणित गेहूं बीज को राजसात करने की कार्यवाही की जा सकती है।

इस तथ्य को सिद्ध करने का भार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के तहत अप्रार्थीगण पर है कि उनके द्वारा बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के प्रावधानो की कोई अवहेलना नही की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

''जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।''

चूंकि अप्रार्थीगण के फार्म हाउस चक 16 बी. एन.डबल्यू. के खुले फार्म हाउस में (सिहांगावाली गांव के पास) प्रमाणित गेहूं बीज का अवैद्य भण्डारण अवैद्य व्यापार हेतु पाये जाने पर उनसे जब्त शुदा उक्त प्रमाणित गेहूं बीज को राजसात करने की प्रार्थना की गयी है। अप्रार्थीगण पर बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1)की अवहेलना का आरोप है कि उनके पास अनाधिकृत फार्म हाउस में खुले रूप से भण्डारित किये गये प्रमाणित गेहूं बीज का व्यापार करने के लिए कोई अनुज्ञापत्र नही है। बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) निम्न प्रकार से है:–

धारा 3.वितरक बनने के लिए लाईसेन्स प्राप्त करना:–
(1) कोई भी व्यक्ति, किसी स्थान पर बीज बेचने, निर्यात करने या आयात करने का कारोबार नही करेगा, सिवाय इस आदेशो के अन्तर्गत प्राप्त किये गये लाईसेन्स और उस लाईसेन्स में तय किये गये नियमों और शर्तो के अधीन।
(2) उपधारा (1) में कही गई किसी भी बात के बावजूद, राज्य सरकार यदि चाहे तो, सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा, उन इलाकों में और उन शर्तो के अधीन, जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किये गये हों, किसी भी वर्ग के वितरक को उस उपखण्ड के प्रावधानो से मुक्त कर सकती है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार अप्रार्थी मैसर्स सिंगला सीडस एजेन्सी के पास अनुज्ञापत्र संख्या 1667 दिनांक 14.03.08 को बीज व्यवसाय के लिए कृषि विभाग से जारी किया गया है जो 13.03.17 नवीनीकृत है जिसमें कार्य स्थल 80बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण केवल उक्त अनुज्ञापत्र में अंकित कार्य स्थल 80 बी पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर में बीज विक्रय, आयात, निर्यात, भण्डारण करने के लिए ही अधिकृत है न कि चक 16 बी.एन.डबल्यू. के फार्म हाउस में खुले रूप में प्रमाणित गेहूं बीज का भण्डारण करने के लिए। उक्त अनाधिकृत स्थल से 6821 थैले प्रत्येक का वजन 40 किलो के रूप में प्रमाणित गेहूं बीज जब्त किया गया है **जो कि अप्रार्थीगण स्वयं के जबाब दिनांक 09.01.17 के पैरा 2 में अंकित**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अनुसार जतिन ट्रेडिंग कम्पनी से विभिन्न दिनांको कमशः 05.12.16, 06.12.16, 07.12.16 व 08.12.16 को खरीद कर उक्त स्थल पर भण्डारण किया गया है।

अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या (iv) निम्न प्रकार से है और अनुज्ञापत्र में संशोधन के लिए धारा 17 में निम्न प्रावधान है:–

> शर्त संख्या (iv):– इस लाईसेन्स का धारक समय–समय पर लाईसेन्स प्राधिकारी को अपने बीज विकय, निर्यात/आयात, तथा उपरोक्त उदेश्यों के लिए बीज का भण्डारण करने के स्थान में होने वाले परिवर्तन की जानकारी देता रहेगा।
>
> धारा 17. लाईसेन्स का संशोधन:– लाईसेन्स जारी करने वाला प्राधिकारी , यदि चाहे तो, किसी वितरक से इस संबंध में लिखित अनुरोध, जिसके साथ दस रूपये की फीस भी सलंग्न होगी, प्राप्त होने पर उस वितरक के लाईसेन्स में कोई संशोधन कर सकता है।

चूंकि फर्म के पास दुकान न0 80बी पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर में कार्य करने के लिए अनुज्ञापत्र सं0 1667 दिनांक 14.03.08 से है। जिससे स्पष्ट है कि फर्म कोई नई फर्म नही है जिन्हे बीज नियन्त्रण आदेश व अनुज्ञापत्र की शर्तो का ज्ञान न है। जबकि फर्म के कथनानुसार उनकी फर्म के कार्यस्थल 80बी पुरानी धानमण्डी में स्थान का अभाव था तो फर्म को दिनांक 05.12.16, 6.12.16, 07.12.16 व 08.12.16 को गेहू बीज खरीद कर भण्डारण करने से पूर्व उक्त स्थल के लिए अनुज्ञापत्र लेना चाहिए था या अपने पूर्व अनुज्ञापत्र में उक्त स्थल का इन्द्राज करवाना चाहिए था। ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म द्वारा जानबूझकर, चोरी छुपे अनुचित व्यापार करने की नीयत से न तो नया अनुज्ञापत्र लेने की जरूरत समझी और न ही पूर्व में जारी अनुज्ञापत्र में उक्त अवैद्य स्थल को दर्ज करवाने के लिए विभागीय अधिकारियो को कोई प्रार्थना पत्र नियमानुसार दिया। दिनांक 13.12.2016 को 6821 थैले प्रमाणित गेहूं बीज जब्त किये जाने पर अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में दिनांक 14.12.16 को प्रार्थना पत्र फीस सहित पेश करना बताया है। किन्तु जबाब के साथ साक्ष्य के साथ उक्त स्थल 16 बीएनडबल्यू के फार्म हाउस के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। जबकि चक 16 बीएनडबल्यू का उक्त फार्म हाउस मौका पर्चा रिपोर्ट जो दिनांक 13.12.16 से 17.12.16 तक जांच करने की है के पेज 9 के अन्तिम पैरा अनुसार गोबर गैस तैयार करने की एक यूनिट है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण नेक नीयत नही है और उनके द्वारा उक्त स्थल पर विभिन्न तारीख 5.12.16, 06.12.16, 07.12.16, व 08.12.16 तक अवैद्य रूप से अवैद्य कारोबार की नीयत से प्रमाणित गेहूं बीज का बिना अनुज्ञापत्र के भण्डारण किया है जो

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) व अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या (iv) की अवहेलना की है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त सीआर. एल. आर. (राजस्थान) 1988(2) पेज 953 एवं ए.आई.आर. 1994 एस.सी. पेज 2063 का मेरे द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण ने प्रमाणित गेहूं बीज के अवैद्य कारोबार के लिए चक 16 बी.एन.डबल्यू. (गांव सिहांगावाली के पास) के खुले फार्म हाउस जहां गोबर गैस प्लांट है में विभिन्न तारीख 5.12.16, 06.12.16, 07.12.16, व 08.12.16 को अवैद्य रूप से अवैद्य कारोबार की नीयत से उक्त प्रमाणित गेहूं बीज का भण्डारण करते रहे है जिसे जब्त किये जाने पर सुरक्षा की दृष्टि से अन्यत्र स्थान पर दिनांक 13.12.16 से 17.12.16 तक स्थानान्तरण किया गया। चूंकि चक 16 बी.एन.डबल्यू. (गांव सिहांगावाली के पास) के खुले फार्म हाउस जहां गोबर गैस का प्लांट है का मैसर्स सिंगला सीडस के अनुज्ञापत्र में दर्ज नही है और उक्त स्थल दर्ज करवाने का दिनांक 14.12.16 का मय फीस का कोई प्रार्थना पत्र विभाग को दिया जाना साक्ष्य में पेश नही किया है। इसलिए इस मामले के तथ्य भिन्न होने के कारण उक्त परिस्थितियों को देखते हुए मेरे विनम्र निवेदन में अप्रार्थीगण उक्त न्यायिक दृष्टान्तो का कोई लाभ प्राप्त करने के हकदार नही ठहरते है।

चूंकि अप्रार्थीगण के द्वारा बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) व अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या (iv) की अवहेलना किया जाना स्पष्ट है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर.एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्दकुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये है:–

> **13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099,**
>
> **This Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law . [See also- Vice Chancellor , university of Allahabad & Ors.Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors.; AIR 2002 SC 629]**

चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर.एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्दकुमार वगैरा में दिये

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

गये मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए कि अप्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में प्रभावी संबंधित बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 3(1) व अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या **(iv)** की अवहेलना की है। चूंकि बीज नियन्त्रण आदेश 1983 जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी एक आदेश है जिसके प्रावधानो की उल्लंघना पर धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त शुदा प्रमाणित गेहूं बीज 6821 थैले प्रत्येक का वजन 40 किलो राजसात करने योग्य ठहरते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दिनांक **13.12.2016** से **17.12.16** तक चली जांच कार्यवाही **के अनुसार एवं अप्रार्थीगण के कथनानुसार दिनांक 05.12.16, 06.12.16, 07.12.16 व 8.12.16 को जतिन ट्रेडिंग कम्पनी से उक्त प्रमाणित गेहूं बीज क्रय किया गया है** को **चक 16 - बी. एन. डबल्यू. (सिहांगावाली के पास) के फार्म हाउस के खुले में जहां पर गोबर गैस प्लांट है पर भण्डारण किया गया है से श्री सुभाषचन्द्र, बीज निरीक्षक द्वारा जब्त किया गया प्रमाणित गेहूं बीज 6821 थेले प्रत्येक का वजन 40 किलो को राजसात किया जाता है।** पूर्व में उक्त जब्त शुदा गेहूं बीज का अन्तरिम निस्तारण, आदेश 23.12.2016 के तहत विभाग द्वारा किया जा चुका है। उक्त गेहूं बीज की विक्रय की समस्त राशि **54,70,442/–रूपये** को स्थाई रूप से राज्यहित में राजकोष में जमा करवाया जावे। आदेश की प्रति कृषि अधिकारी (पौ0सं0) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सादुलशहर व उपनिदेशक कृषि (विस्तार) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21–02–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर